#### (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

#### Notification No. 27/2021 - State Tax

Dated: The 14th December 2021

No. F.3 (135)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I / 903 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> June, 2021
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017,--
- (i) in sub-rule (1) of rule 26, in the fourth proviso, with effect from the 31<sup>st</sup> day of May, 2021, for the figures, letters and words "31<sup>st</sup> day of May, 2021", the figures, letters and words "31<sup>st</sup> day of August, 2021" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (4) of rule 36, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.";

(iii) in sub-rule (2) of rule 59, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1<sup>st</sup> day of June, 2021 till the 28<sup>th</sup> day of June, 2021."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manòj Kumar) Dy. Secretary I (Finance) Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

11. Website.

12. Guard File.

(Manoj Kumar)

Dy. Secretary I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *Vide* notification No. 03/2017- State Tax, dated the 22<sup>nd</sup> June, 2017, published *vide* No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22<sup>nd</sup> June, 2017 and last amended *vide* notification No. 15/2021 – State Tax, dated the 9<sup>th</sup> December 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *vide* No. F.3(134)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/395, dated the 9<sup>th</sup> December 2021.

# (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दिनांकः 14 दिसम्बर, 2021

# अधिसूचना संख्या 27/2021-राज्य कर

सं0फा० 03(135) / वित्त (व्यय—I) / 2021—22 / डीएस— I / १०३ : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: ——

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 है ।
  - (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 जून, 2021 से लागू होंगे ।
- 2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में, -
- (i) नियम 26 के उपनियम (1) में चौथे परंतुक में, "31 मई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों, के स्थान पर, "31अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । इस नियम को मई, 2021 के 31वें दिन से लागू माना जाएगा ।
- (ii) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी ।";

(iii) नियम 59 के उपनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

''परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28 वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> ( मनोज कुमार ) उप सचिव— I (वित्त)

सं०फा० 03(135) / वित्त (व्यय— I) / 2021—22 / डीएस— I / ईं ठ दिनांकः 14 दिसम्बर, 2021 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रसारितः

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्यं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
  दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली म्रचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

्रिर्राडी के कि (मनोजः कुमार) उप सचिव— I (वित्त)

नोटः मुख्य नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV की अधिसूचना संख्या 03/2017—राज्य कर, दिनांक 22 जून, 2017, सं.फा.03(10)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/342., दिनांक 22 जून, 2017 के तहत और अंतिम संशोधित नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV, की अधिसूचना संख्या 15/2021—राज्य कर, तारीख 09 दिसम्बर, 2021, सं.फा. 03(134)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस—I/395, तारीख 09 दिसम्बर, 2021, के तहत प्रकाशित गए गए थे।